रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1510] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2009/भाद्र 31, 1931
No. 1510] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2009/BHADRA 31, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

आय-कर

का.आ. 2413(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 1281(अ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना में 27 जुलाई, 2007 से (अर्थात् वह तारीख जिसको स्कीम प्रवृत्त हुई थी) निम्नलिखित संशोधन करता है ।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. **ई-विवरणी मध्यवर्ती की अर्हताएं.**— (1) ई-विवरणी मध्यवर्ती के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात् :—

(क) उसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (36क) में यथापरिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी, जिसमें अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) के अर्थान्तर्गत जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और उन कंपनियों की कोई समनुषंगी होना चाहिए; या

(ख) भारत में निगमित कोई कंपनी, जिसके अंतर्गत बैंक भी हैं जिसका शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए या अधिक है; या

(ग) चार्टर्ड अकाऊंटेंटों या कंपनी सचिवों या अधिवक्ताओं की कोई फर्म, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है; या

(घ) कोई चार्टर्ड अकाऊंटेंट या कंपनी सचिव या अधिवक्ता या कर विवरणी तैयारकर्ता, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है; या

(ङ) किसी सरकारी विभाग का आहरण या संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) ।

(2) ई-मध्यवर्ती के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 17 के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्रमाणक प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी प्रमाणक प्राधिकारी से कम से कम श्रेणी-2 का अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र होगा ।

(3) ई-मध्यवर्ती के पास ई-विवरणी प्रशासक के समाधानप्रद रूप में सुरक्षा प्रक्रिया होगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारिती की सूचना की गोपनीयता उचित रूप से सुरक्षित है ।

(4) ई-मध्यवर्ती के पास ऐसी ई-विवरणियों के लिए, जो उसके माध्यम से फाइल की जाएंगी, समय-समय पर ई-विवरणी प्रशासक द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार आवश्यक आर्किवल, रिट्रिवल और सुरक्षा नीति होगी ।

(5) ई-मध्यवर्ती या उसका प्रधान अधिकारी किसी वृत्तिक अवचार, कपट, गबन या किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो ।" ।

[अधिसूचना सं. 70/2009/फा. सं. 133/55/2008-टीपीएल]

विजय कुमार जैसवाल, अवर सचिव